पशुपालन विभाग

आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना

जनपद ऊधमसिंह नगर

वर्ष 2015–16

अध्याय–1

प्रस्तावना, परिकल्पना एवं उद्देश्य

जनपद ऊधमसिंह नगर में पशुपालन को एक सहायक व्यवसाय के रुप में अपनाया जा रहा है। पशुपालकों को उनके पशुओं की समुचित चिकित्सा, बधियाकरण एवं सुरक्षात्मक टीकाकरण तथा कृत्रिम गर्भाधान द्वारा नस्ल सुधार आदि सुविधायें विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाती हैं। इन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जनपद में 22 पशुचिकित्सालय, 72 पशु सेवा केन्द्र, 1 अटल आदर्श ग्राम के अन्तर्गत पशु सेवा केन्द्र, 2 'द' श्रेणी पशुचिकित्सालय, 1 सचल पशुचिकित्सालय, 1 सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र एवं 1 रोग अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा किया जाता है। दैवीय आपदा की स्थिति में जनपद की उक्त संस्थाओं पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों (रैपिड रिसपौन्स टीम) द्वारा पशुधन की सुरक्षा एवं बचाव तथा पशुपालकों को लाभान्वित किये जाने सम्बन्धी समस्त कार्य सम्पादित किये जायेंगे।

जनपद ऊधमसिंह नगर में दैवीय आपदा (जैसे भूकम्प, बाढ़ एवं सूखा) के खतरे के दृष्टिगत पूर्व तैयारी का उपयुक्त स्तर बनाये रखने हेतु पशुपालन विभाग की कार्ययोजना तैयार की जा रही है इस हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में **एक कंट्रोल रूम**, पशुपालन विभाग कमरा नं0 108, विकास भवन, रूद्रपुर दूरभाष संख्या **05944–260264** की स्थापना कर ली गयी है।

आपदा प्रभावित क्षेत्रः–जनपद ऊधमसिंह नगर के समस्त 7 विकास खण्ड जो कि भूकम्प जोन 4 में आते है एवं सम्पूर्ण जनपद सम्भावित बाढ़ क्षेत्र में आता है। आपदा प्रबन्धन सम्बन्धि कार्यो को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु विकासखण्ड स्तर पर आपदा प्रबन्धन टीम का गठन किया गया है, जिसमें एक पशु चिकित्साधिकारी, दो पशु धन प्रसार अधिकारी तथा दो अनुसेवक है।

पषुधन के आकड़ेः–जनपद में 2007 की पषुगणना के आंकडे निम्न सारणी किये गयै है

गोवंशीय	महिश वंशीय	भेड़	बकरी	सूकर	श्वान	घोड़े/टट्टू	कुक्कुट पक्षी	योग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
144367	184855	2656	66838	1867	35342	1758	1200000	437683

विकासखण्ड वार आपदा प्रबन्धन टीम का गठन

जनपद में 7 विकास खण्डों में न्याय पंचायतवार रैपिड रिसपौन्स टीम (RRT) का गठन किया गया है।

क्र0	विकास खण्ड का नाम	दल के सदस्यों का नाम	पदस्थापना स्थान	मो0/दूरभाष न0
1–	जसपुर	1–डा0 रोहित सिंह, प0चि0अ0	पशु0चि0 जसपुर	9411224676
		2–श्री तारा चन्द्र क्षे0प्र0अ0	प0से0केन्द्र महुवाडाबरा	9837352327
		3–श्री गजेन्द्र सिंह चौहान, प0प्र0अ0	प0से0केन्द्र शिवराजपुर पट्टी	9837539906
		4–श्री सत्य प्रकाश, अनु0	पशु0चि0 जसपुर	9837539906
		5–श्री ओम प्रकाश, अनु0	पशु0चि0 जसपुर	–
2–	काशीपुर	1–डा0 योगेश शर्मा, प0चि0अ0	पशु0चि0 काशीपुर	9837121896
		2–श्री नंदलाल क्षे0प्र0अ0	प0से0केन्द्र खडकपुर देवीपुर	9837373048
		3–श्री राकेश कुमार मघवाल,प0प्र0अ0	प0से0केन्द्र बरखेडा पांड	9837025362
		4–श्री जगतार सिंह , अनु0	पशु0चि0 महआखेडागज	9837853541
		5–श्री भीम सिंह डोलिया, अनु0	पशु0चि0 काशीपुर	–
3–	बाजपुर	1–डा0 अनिल कुमार रावत,प0चि0अ0	पशु0चि0बाजपुर	9410588072
		2–श्री तेज सिंह बोहरा, क्षे0प्र0अ0	प0से0केन्द्र नमूना	8057050708

		3–श्री जग मोहन कम्बोज, प0प्र0अ0 4–श्री पूर्णानन्द जोशी, अनु0 5–श्री डाल चन्द्र,अनु0	प0से0केन्द जागीपुर पशु0चि0बाजपुर पशु0चि0बाजपुर	9837242408 – –
4–	गदरपुर	1–डा0 रविशंकर झा, प0चि0अ0 2–श्री शंकर लाल, क्षे0प्र0अ0 3–श्री एन0सी0जोशी प0प्र0अ0 4–श्री गोविन्द सिंह, अनु0 5–श्री चन्दन सिंह कार्की	पशु0चि0गदरपुर प0से0केन्द्र विशनपुर प0से0केन्द्र फतेहगंज पशु0चि0गदरपुर पशु0चि0 गदरपुर	9412963979 9690166898 9927050596 – –
5–	रूद्रपुर	1– डा0 हिमाशु पांगती, प0चि0अ0 2–श्री जगदीश चन्द्र पाण्डे, क्षे0प्र0अ0 3–श्री लोकेन्द्र सेमवाल, प0प्र0अ0 4–श्री गुलाब चन्द्र, अनु0 5–श्री पवन सक्सेना, अनु0	पशु0चि0रूद्रपुर प0से0केन्द्र बगवाडा प0से0केन्द्र देवरिया पशु0चि0 रूद्रपुर पशु0चि0 रामेश्वरपुर	9411164005 9837359981 9837373099 – –
6–	खटीमा	1–डा0पी0एस0हयांकी प0चि0अ0 2–श्री बी0बी0पाण्डे, क्षे0प्र0अ0 3–श्री किशोर चन्द्र उप्रेती , प0प्र0अ0 4–श्री मदन लाल, अनु0 5–श्री श्याम बाबू, स्वच्छक	पशु0चि0 खटीमा प0से0केन्द्र चकरपुर प0से0केन्द्र कचनपुरी पशु0चि0 झनकट पशु0चि0 खटीमा	9012350231 9897738249 9412017816 – –
7–	सितारगंज	1–डा0 प्रमोद कुमार पाठक, प0चि0अ0 2'–श्री पान सिंह सम्भल, क्षे0प्र0अ0 3–श्री भुवन चन्द्र उप्रेती, प0प्र0अ0 4–श्री कृष्ण कुमार ओझा, अनुसेवक 5–श्री विशाल आनन्द, अनुसेवक	पशु0चि0 सितारगंज प0से0केन्द्र सिसैया प0से0केन्द्र बलखेडा पशु0चि0 नानकमत्ता पशु0चि0 सितारगंज	9412060333 9411541115 9759388640 – –

पशुपालन विभाग द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर में अपनी संस्थाओं के माध्यम से विभाग द्वारा संचालित विभिन्न नियमित योजनाओं तथा समय–समय पर प्राप्त होने वाली लाभार्थीपरक योजनाओं से पशुपालकों को लाभान्वित किया जाता है। योजनाओं का लाभ जन–जन तक पहुॅचाने हेतु हमारे अधिकारी/कर्मचारी पूरी लगन एवं निष्ठा के साथ कार्यों का सम्पादन करते हैं। पशुपालन की दृष्टि से जनपद ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड का सबसे विकसित जनपद है जहॉ पर विदेशी नस्ल की क्रासब्रीड गायों तथा मुर्रा व अन्य उन्नत नस्ल की भैंसों की विभिन्न उन्नत डेयरी स्थापित हैं। जनपद की कुल पशुधन संख्या 382228 जिनमें गौवंशीय पशु 144367 तथा महिषवंशीय पशुओं की संख्या 148855 है, इसी प्रकार कुक्कुट पालन के क्षेत्र में भी जनपद उत्तराखण्ड में अग्रणी है। जनपद में 100000 से अधिक क्षमता के तीन कुक्कुट फार्म तथा 10000 से 100000 क्षमता के लगभग 7 कुक्कुट फार्म स्थापित हैं। जनपद की कुल कुक्कुट संख्या 3063001 है। आपदा की स्थिति में पशुपालन विभाग का मुख्य उद्देश्य जनपद की पशुधन सम्पदा को क्षति से बचाना तथा पीड़ित पशुओं की चिकित्सा करना, निराश्रित हुवे पशुओं को अस्थाई आश्रय उपलब्ध कराना तथा आपदा के बाद की अवधि में उनके चारे, दाने तथा पानी की समुचित व्यवस्था करना है।

19 वीं पशुधन संगणना 2012 के अनुसार जनपद की विकास खण्डवार पशुधन संख्या निम्न प्रकार है।

S.No.	Name of the block	Total animals	Total poultry
1.	Jaspur	44018	24618
2.	Bajpur	59136	342071
3.	Kashipur	44473	1820974
4.	Gadarpur	40085	232418
5.	Sitarganj	61113	52950
6.	Kiccha	49325	310230
7.	Khatima	84078	279740
	Total	**382228**	**3063001**

जनपद में आपदा (भूकम्प, बाढ़, ऑधी, सूखा आदि) की स्थिति से निपटने हेतु रैपिड रिस्पॉन्स टीम का गठन किया गया है ताकि आपदा के खतरे के दृष्टिगत तैयारी का उपयुक्त स्तर बनाये जाने हेतु सक्षम कार्ययोजना तैयारी की जा सके। कार्ययोजना का प्रमुख उद्देश्य आपदा की स्थिति में राहत

व बचाव कार्य के साथ–साथ पशुओं की त्वरित चिकित्सा, टीकाकरण, पशु शव परीक्षण, मृत पशुओं का आकलन, पशुओं को अस्थाई आश्रय तथा चारा दाना, पानी उपलब्ध कराना है। रैपिड रिस्पौन्स टीम के सफल संचालन तथा समन्वय हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक कन्ट्रोल रूम, कमरा नं0–108 पर स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष/फैक्स नम्बर 05944–250264 है, जहॉ पर जनपद के समस्त विकासखण्ड स्तर पर स्थापित संस्थाओं से आपदा सम्बन्धी सूचनाओं का आदान–प्रदान करते हुए जनपदीय आपदा प्रबन्धन समिति से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

अध्याय–2

आपदाओं के प्रति जनपद की संवेदनशीलता (Vulnerability) एंव पूर्व में आपदा की स्थितियों में विभाग द्वारा सम्पादित विशिष्ट कार्य

जनपद मुख्य रूप से भूकम्प, बाढ़, ऑधी तथा सूखा जैसी आपदाओं हेतु संवेदनशील है। जनपद के समस्त 7 विकासखण्ड भूकम्प जोन 4 में आते हैं जहॉ मध्यम से अधिक तीव्रता के भूकम्प आने की सम्भावना बनी रहती है। इसी प्रकार सम्पूर्ण जनपद सम्भावित बाढ़ क्षेत्र में आता है। पर्वतीय क्षेत्रों/क्षेत्र विशेष में अतिवर्षण होने की स्थिति में बाढ़ आ सकती है जबकि वर्षा न होने पर सम्पूर्ण जनपद समान रूप से सूखे से प्रभावित हो सकता है। जहां एक ओर भूकम्प तथा सूखे से पूरे जनपद में क्षति का स्तर एक समान हो सकता है वही पर्वतीय क्षेत्रों/क्षेत्र विशेष में अतिवर्षण के कारण बाढ़ आ सकती हैं। किसी भी सम्भावित आपदा हेतु समुचित प्रबन्धन करने से पूर्व उस क्षेत्र में भूकम्प, बाढ़, भू–स्खलन अथवा सूखे से प्रभावित होने वाले सम्भावित क्षेत्रों का आकलन किया जाना परम आवश्यक है। यद्यपि जनपद ऊधमसिंह नगर के समस्त सातों विकास खण्ड बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील हैं परन्तु मुख्य रूप से निम्न विकास खण्ड संवेदनशील श्रेणी में रखे जा सकते हैं :–

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	क्षेत्र की नदियों के नाम	प्रभावित गांवों के नाम	विकास खण्ड की पशुधन संख्या	अस्थायी शिविरों हेतु प्रस्तावित स्थल	संवेदनशीलता का स्तर
01	सितारगंज	सूखी नदी, कैलाश नदी, बैगुल नदी	पड़ा गॉव, जेल कैम्प, रूदपुर, सुरेन्द्रनगर, बीस क्वार्टर, रतनफार्म नं0–3, गौठा, गुरूनानक नगरी, जंगी झाला, लौंका, नकटा, सतफार्म, कश्मीरी फार्म, नकुलिया, उकरौली, बमनपुरी, चीकाघाट, रसोईयापुर, चुकटा, पिगरी, टुकरी, बिचवा, बिचई, जुका, सरबता,सरबती।	61113	रा0इ0का0शक्तिफाम रा0इ0का0 नानकमत्ता	अतिसंवेदनशील
02	खटीमा	शारदा नहर,	चॉदा, गुडरिया, जादवपुर, झनकट, प्रतापपुर, ज्युरी, उलधन, पुरनापुर, खटीबाग, जांगी, मडगली, जजगली, गाड़धारी, डाहघाटी, बग्गा चौवन, पन्तना, अशोक फार्म, सिसैया, मेलाघाट, वनमहोलिया, बगुलिया, बग्चुरी, मेहरबाननगर, नौसर।	84078	रा0इ0का0प्रतापपुर, उ0मा0वि0जादवपुर	संवेदनशील
03	बाजपुर	कोसी, दाबका , लेवला नदी	जोगीपुरी, विडिया, कालौनी, पहाड़पुर, नमूना, नगीना, झनतारा, भैंसियाफार्म, चकरपुर, रतनपुरा, रामजीवनपुर, मड़ियोबक्शी, रतनपुरी	59136	रा0इ0का0गजरौला रा0इ0का0बाजपुर	संवेदनशील

वर्ष 2009–10 में सितारगंज क्षेत्र में आयी बाढ़ के कारण खेतों, फसलों तथा पशुधन को क्षति पहुॅची। उक्त आपदा के समय विभाग द्वारा गठित रैपिड रिस्पॉन्स टीम के द्वारा, जिसका प्रतिनिधित्व स्वयं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा किया गया, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आपदा राहत कार्य में सहयोग प्रदान किया गया।

अध्याय–3

विभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले मुख्य कार्य व इनमें आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित पक्षों के समावेश की सम्भावनायें

आपदा से पूर्व – विभाग द्वारा आपदा से पूर्व की कार्य योजना तैयार करते हुवे जनपद के समस्त विकास खण्डों में स्थित विकास खण्ड स्तरीय व ग्राम पंचायत स्तरीय संस्थाओं पर तैनात अधिकारियो व कर्मचारियों की आपदा टीम (RRT) का गठन कर किया जाता है। सभी संस्था प्रभारियों को संभावित आपदा से निपटने हेतु पूर्ण तैयारी के निर्देश जारी करते हुए आपदा की स्थिति में परस्पर समन्वय बनाते हुवे राहत व बचाव कार्य करने के निर्देश दिये जाते है।
प्रत्येक संस्था पर विभागीय बजट से उपलब्ध करायी गई दवा, वैक्सीन, उपकरण आदि का 10% भण्डारण आपदा हेतु किया गया है। समस्त विकास खण्डों पर स्थापित चारा बैंकों पर कॉम्पैक्ट फीड ब्लॉक/चाटन भेली की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है।

टीकाकरण – विभाग द्वारा नियमित रूप से वर्ष में दो बार प्रमुख संक्रामक रोगों से पशुओं की सुरक्षा हेतु टीकाकरण सम्पन्न कराया जाता है। मुख्य रूप से खुरपका–मुॅहपका (FMD), गलघोंटू (H.S), लंगड़िया (BQ) पी0पी0आर0(PPR) आदि रोगों का टीकाकरण किया जाता है, जिसे आपदा से पूर्व तैयारी के रूप में देखा जा सकता है। विकास खण्डस्तरीय आपदा राहत टीमों (RRT) को विभागीय आपदा कन्ट्रोल रूम तथा आपदा प्रबन्धन कार्यालय का Toll Free No उपलब्ध करा दिया गया है।

आपदा की अवधि में–आपदा की स्थिति में विभाग द्वारा गठित टीमों के द्वारा प्रभावित क्षेत्र में तत्काल पहुॅचकर निम्न कार्य किये जायेंगे।

- राहत एव बचाव कार्यो में सहयोग देना।
- घायल/रोग ग्रस्त पशुओं की चिकित्सा।
- आवश्यकतानुसार लघु शल्य चिकित्सा/उपचार।
- पशुओं को चारा/दाना/कॉम्पैक्ट फीड/चाटन भेली उपलब्ध कराना।
- मृत/शव परीक्षण के उपरान्त स्थानीय प्रशासन के सहयोग से पशुओं का निस्तारण।
- मृत/लापता पशुओं का राजस्व विभाग के सहयोग से आंकलन करना/क्षतिपूर्ति हेतु कार्यवाही करना।
- आश्रयहीन हुवे पशुओं को स्थानीय प्रशासन/सम्बन्धित विभाग के सहयोग से अस्थायी आश्रय उपलबध कराना।
- विभागीय परिसम्पत्तियो की क्षति का आकलन कर आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को सूचित करना।
- क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों को व्यवस्थित करना।

- विभागीय सेवाओं को पुनः सुचारू करना।

अध्याय–4
आपदा की स्थिति में विभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले उत्तरदायित्व
(Responsibilities)

आपदा से पूर्व :–

- भूकम्प से बचाव हेतु जागरूक करना व भूकम्प की स्थिति में निर्भय होकर स्वयं व दूसरो को बचाने के उपाय बताना। पशुओ को बॉधकर न रखने के सम्बन्ध में जागरूक करना।
- भूकम्प के दौरान गैस चूल्हा न जलाने, किसी प्रकार की आग का प्रयोग न करने तथा भवन के सुरक्षित स्थान/कोने पर खड़े रहने हेतु जागरूक करना।
- बाढ़ की स्थिति में सुरक्षित स्थानों के बारें में सूचित करना।
- पशुओ में संक्रामक रोगो से बचाव हेतु टीकाकरण करना।
- सभी संस्थाओं पर आपातकालीन औषधियों का प्रचुर भण्डार रखना।
- RRT को तैयार रखना।
- चारा बैकों में फीड ब्लॉक/चाटन भेली का पूर्व से भण्डारण करना।

आपदा के समय–

- परस्पर समन्वय स्थापित कर आपदा राहत कार्यों में त्वरित सहयोग करना।
- दबे, फंसे पशुओं को सुरक्षित बाहर निकालना व बाढ़/भूकम्प पीड़ित मनुष्यों/पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना।
- घायल/बीमार पशुओं की चिकित्सा करना।
- परस्पर सहयोग की भावना से निःस्वार्थ होकर कार्य करना।

आपदा के बाद–

- आपदा प्रबन्धन विभाग/स्थानीय प्रशासन के सहयोग से पशुओं के अस्थाई आश्रयों का निर्माण।
- पशुओ को चारा,दाना,पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- मृत पशुओ का शव विच्छेदन/परीक्षण व स्थानीय प्रशासन के सहयोग से समुचित निस्तारण।
- आपदा कार्यों के त्वरित निस्तारण हेतु Reporting–feed back System को स्थापित करना।
- आपदा के दौरान किये गये कार्यो का त्मबवतक रखना।
- विभागीय परिसम्पत्तियो की क्षति का आकलन कर सम्बन्धित विभाग को सूचित करना।
- विभागीय सेवाओं को पुनः स्थापित करना।

विभाग द्वारा नियमित रूप से किये जाने वाले कार्यो के अर्न्तगत आपदा न्यूनीकरण (mitigation) व रोकथाम (prevention) हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम व उनके सफल संचालन हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा :–

भूकम्प, बाढ़ व अन्य प्राकृतिक आपदाओं के उपरान्त प्रायः मनुष्यो व पशुओ में संक्रामक रोगो के प्रकोप होने की प्रबल संभावना रहती है। अतः आपदा से पूर्व की प्रस्तावित तैयारियो में पशुओ के समस्त संक्रामक रोग जैसे–खुरपका मुॅहपका, गलघोंटू, ब्लैक क्वार्टर, पी0पी0आर0 आदि के सुरक्षात्मक टीके लगाये जाय। इससे आपदा के उपरान्त संभावित महामारी की रोकथाम की जा सकती है जिससे संभावित पशुओ की क्षति को कम किया जा सकता है।

आपदा के समय चोटिल/घायल व कमजोर पशुओ की त्वरित चिकित्सा हेतु औषधि/रसायनों की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये। जनपद स्तर से सभी पशुचिकित्साधिकारियो को निर्देश दिये गये हैं कि संस्था पर उपलब्ध औषिधि भंण्डार की 10: औषधियॉ आपदा हेतु सुरक्षित रखी जाय तांकि आकस्मिक आपदा की स्थिति में औषधियों की तत्कालिक आपूर्ति संभव हो सके।

आपदा के उपरान्त रोगों के प्रकोप (outbreak) होने पर सम्बंधित क्षेत्र में Repid Response Team द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए रोग के निदान/चिकित्सा की कार्यवाही की जायेगी। लोगों में भय व्याप्त न हो इसलिये स्थानीय जन प्रतिनिधियों/प्रशासन के सहयोग से सावधानी पूर्वक रोग पर नियंत्रण की कार्यवाही की जायेगी जिससे पशुओ की चिकित्सा के साथ साथ पशु बाड़ों/मुर्गी फार्मो का disinfection भी किया जायेगा। उक्त हेतु प्रचुर मात्रा में Antiseptics, Disinfactants, Antibiotic, Antipyretic, Antiinflammatory तथा शक्तिवर्धक दवाओं, I/V Fluids की व्यवस्था भी किया जाना आवश्यक होगा।

आपदा के उपरान्त चारा/घास /भूसे की कमी की स्थिति में सभी विकास खण्ड स्तर पर स्थापित चारा बैंकों से कॉम्पैक्ट फीड ब्लॉक/चाटन भेली की आपूर्ति की जा सकती है।

यद्यपि विभाग द्वारा आपदा हेतु पृथक से बजट उपलब्ध नहीं कराया जाता है परन्तु आपदा की स्थिति की तात्कालिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत सीमित मात्रा में औषधि/सामग्री क्रय की जा सकती है। प्रचुर मात्रा में औषधि/उपकरण तथा अन्य सामग्री की आवश्यकता हेतु विस्तृत बजट की मॉग प्रस्तुत की जा रही है (संलग्नक–5)।

अध्याय–5
आपदा के परिपेक्ष्य में विभागीय क्षमता विकास नीति

पशुचिकित्सा सेवा से सम्बन्धित विभागीय तकनीकी अधिकारी (पशुचिकित्सा अधिकारी) तथा कर्मचारी पशुचिकित्सा व सेवा सम्बन्धी कार्यों में प्रशिक्षित होते हैं। आपदा की स्थिति में उनके तकनीकी ज्ञान का अधिक से अधिक सदुपयोग करने हेतु आपदा प्रबन्धन विभाग के सहयोग से विभिन्न स्तर के प्रशिक्षण दिये जाएं तांकि आपदा की विषम परिस्थितियों में उनकी क्षमता का पूर्ण सदुपयोग हो सके, चूंकि विभाग द्वारा आपदा से निपटने हेतु विशेष प्रशिक्षण दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है, अतः आपदा प्रबन्धन के सहयोग से आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया जाना चाहिए।

जिला प्रशासन तथा आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सहयोग से आपदा की विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुवे प्रशिक्षण के प्रारूप निर्धारित किये जाएं तथा प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा नियमित रूप से प्रशिक्षण दिये जाएं। जनपद के अन्तर्गत उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान तथा मण्डल स्तर पर उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी के आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ द्वारा प्रशिक्षण दिये जाने हेतु वार्षिक रोस्टर निर्धारित किये जा सकते हैं।

यथा संभव जनपदीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण तथा जिला प्रशासन द्वारा संभावित आपदा अथवा वर्षा ऋतु से पूर्व आपदा प्रबन्धन हेतु अधिक से अधिक मॉक ड्रिल करवाये जाने चाहिए। उक्त मॉक ड्रिल में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य होना चाहिए।

अध्याय–6
विभागीय आपदा प्रबन्धन योजनाओं की समीक्षा व उच्चीकरण हेतु व्यवस्था

आपदा के दौरान राहत कार्यों के सम्पादन में पाई गयी कमियों/त्रुटियों का आंकलन/समीक्षा किया जाना अत्यावश्यक है तांकि भविष्य में आने वाली किसी भी आपदा की परिस्थिति में उन त्रुटियों को दूर करते हुवे बेहतर व सक्षम तरीके से राहत कार्यों का संचालन किया जा सके।

आपदा उपरान्त विभाग द्वारा सम्पादित कार्यों की समीक्षा :–किसी भी आपदा के दौरान किये जाने वाले कार्यों के आधार पर कार्य के निष्पादन में आने वाली कठिनाईयॉ तथा कार्य संचालन की कमियों की समीक्षा आपदा के उपरान्त किया जाना आवश्यक है। आवश्यक होगा कि आपदा के उपरान्त तत्काल समस्त पशुचिकित्सा अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की जायेगी। जिसमें सम्बन्धित आपदा में किये गये कार्यों, अनुभवों पर चर्चा करते हुवे उन कमियों को सूचीबद्ध किया जाय जिनके कारण कार्यों के सम्पादन में व्यवधान उत्पन्न हुआ हो अथवा कार्यों में बिलम्ब हुआ हो, ताकि उक्त अनुभवों के आधार पर भविष्य में होने वाली आपातकालीन स्थिति में सफलतापूर्वक कार्यों का सम्पादन किया जा सके।

विभाग द्वारा सम्पादित कार्यों में आपदा प्रबन्धन योजना से सम्बन्धित पक्षों के समावेष का स्तर :– आपदा की स्थिति में विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों जैसे मृत पशुओं की खोज, पशुओं का शव विच्छेदन तथा पशुओं के निस्तारण आदि कार्यों का सम्पादन आपदा प्रबन्धन विभाग के परस्पर सहयोग से ही सम्भव होगा। अतः ऐसे कार्यों का चिन्हांकन कर लिया जाय जिन्हें आपदा प्रबन्धन विभाग के सहयोग से किया जाना सम्भव हो।

त्रुटियों/कमियों का चिन्हांकन :–कार्यों के सम्पादन में संसाधनों की अनुपलब्धता/पर्याप्त स्टॉफ की कमी/बजट की कमी तथा कार्यों के सम्पादन में परस्पर समन्वय का अभाव आदि तथ्य प्रकाश में आने पर ऐसे सभी बिन्दुओं को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध कर लिया जाना चाहिए ताकि भविष्य में उन कमियों को आपदा से पूर्व ही दूर कर लिया जाय।

योजना के उच्चीकरण हेतु सुझाव :–प्रभावित क्षेत्रों में जिन अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा कार्य में योगदान दिया गया हो आपदा के उपरान्त उनके साथ समीक्षा बैठक करते हुवे योजनाओं के बेहतर संचालन हेतु उनसे सुझाव आमंत्रित किये जाने चाहिए।

विभाग द्वारा सम्पादित कार्यों के मूल्यांकन के आलोक में विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना का उच्चीकरण :–अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ आपदा से पूर्व विगत आपदाओं के अनुभवों के आधार पर उन कमियों व त्रुटियों के सन्दर्भ में चर्चा हेतु बैठकें की जायं ताकि परस्पर विचार–विमर्श एवं मन्थन के आधार पर योजनाओं का उच्चीकरण किया जा सके।
उपरोक्तानुसार आपदा की स्थिति में जो भी कार्य/व्यवस्थायें सुचारू रूप से न की गयी हों उन कमियों का समुचित अभिलेखीकरण/सूचीबद्ध कर लिया जाय तांकि भविष्य में किसी भी सम्भावित आपदा के समय उन कमियों को दूर करते हुवे त्वरित, कुशलता तथा समयबद्धतापूर्वक कार्य किया जा सके।

विभागीय अधिकारियों का विवरण

क्र0	अधिकारियों के नाम/पदनाम	कार्यालय का पता	दूरभाष संख्या	मोबाईल संख्या
1	डा0रवीन्द्रचन्द्रा, मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी	विकास भवन कमरा नं0 108 रूद्रपुर	05944–250264	9456704037
2	डा0मृगेश चौधरी, उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी	विकास भवन कमरा नं0 210 रूद्रपुर	05944–250810	8938805001
3	डा0रोहित सिंह	रा0प0चि0 जसपुर		9917339331
4	डा0राजीव कुमार प0चि0अ0	रा0प0चि0 करनपुर		9761581026
5	डा0योगेश शर्मा	रा0प0चि0 काशीपुर		7533900050
6	डा0जी0सी0मन्दोलिया	रा0प0चि0 प्रतापपुर		9837740246
7	डा0ए0के0रावत	रा0प0चि0 बाजपुर		9639867799

8	डा0कमल पन्त प0चि0अ0	रा0प0चि0सुल्तानपुर पट्टी		9456344750
9	डा0राहुल सती प0चि0अ0	रा0प0चि0 बन्नाखेड़ा		8394999007
10	डा0आर0एस0झा चि0अ0ग्रेड–1	रा0प0चि0 गदरपुर		8057295005
11	डा0राजीव सिंह	रा0प0चि0 रूद्रपुर		9412420040
12	डा0संतोष बुधानी प0चि0अ0	रा0प0चि0 रामेश्वरपुर		9412120856
13	डा0आर0के0पाठक	रा0प0चि0 किच्छा		9412122646
14	डा0जितेन्द्रकुमार	रा0प0चि0 सितारगंज		9917665920
15	डा0अमित कुमार प0चि0अ0	रा0प0चि0 नानकमत्ता		9457888812
16	डा0एस0के0शर्मा	रा0प0चि0 खटीमा		9411289683
17	डा0कोमल सिंह प0चि0अ0	रा0प0चि0 झनकट		9456140599
18	डा0सतीश कुमार प0चि0अ0	सचल प0चि0रूद्रपुर		9456358847

विभागीय संसाधनों की सूची

1–विभागीय सचल वाहन महिन्द्रा यूटीलिटी –संख्या 01

2–औषधि/रसायन/उपकरण

3–संक्रामक रोगों से बचाव हेतु वैक्सीन

4–रैफ्रीजरेटर –प्रत्येक पशुचिकित्सालय पर उपलब्ध–संख्या –22

आपदा की स्थिति हेतु विषिष्ट निर्णय निर्धारण व दिषा–निर्देषन नियमावली

जनपद स्तर पर आपदा कार्यों के संचालन हेतु विभागीय नोडल अधिकारी होने के कारण आपदा की स्थिति में जनपद के अन्तर्गत लिये जाने वाले समस्त निर्णय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा लिये जाएंगे।

विकास खण्ड स्तरीय पशुचिकित्सा अधिकारी/अन्य पशुचिकित्सा अधिकारी/कर्मचारी मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी के निर्देशन में कार्य करेंगे। विभाग में उपलब्ध समस्त संसाधनों का सदुपयोग आपदा राहत कार्यों हेतु किया जा सकेगा। अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होने पर अधिकतम रूपये 15000.00 तक की औषधि/सामग्री का क्रय तत्काल किया जा सकता है। इससे अधिक के संसाधनों हेतु जिलाधिकारी/निदेशक पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड–देहरादून से स्वीकृति लिया जाना आवश्यक होगा।

आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित प्रयोजनों हेतु विभागीय बजट व्यवस्था का विवरण

- आपदा पूर्व जागरूकता, प्रशिक्षण एवं पूर्व तैयारी हेतु – कोई बजट प्रावधान नहीं है।
- आपदा पूर्व रोकथाम एवं न्यूनीकरण हेतु – कोई बजट प्रावधान नहीं है।
- आवश्यक उपकरणों एवं अन्य की आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु – कोई बजट प्रावधान नहीं है।
- आपदा पूर्व अभ्यासों (Mock Exercise) हेतु – कोई बजट प्रावधान नहीं है।
- आपदा की स्थिति में चिन्हित दायित्वों के निर्वहन हेतु – कोई बजट प्रावधान नहीं है।
- पुर्ननिर्माण एवं पुर्नस्थापना हेतु –आपदा से विभागीय परिसम्पत्तियों को होने वाली क्षति का आकलन एवं आगणन प्रस्तुत करने के उपरान्त ही बजट उपलब्ध हो सकता है।

जैसा कि उपरोक्तानुसार अवगत कराया गया है कि आपदा मद में विभाग द्वारा पूर्व में कोई बजट का प्रावधान नहीं किया जाता है। अतः उक्त कार्ययोजना के साथ आपदा प्रबन्धन कार्यों के कुशल सम्पादन हेतु प्रस्तावित बजट की मॉग हेतु प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है :–

आपातकाल की स्थिति में विभाग द्वारा तात्कालिक रूप से किये जाने वाले काय

पशुपालन विभाग जनपद–ऊधम सिंह नगर		
1. किसी भी आपातकाल की स्थिति में विभाग द्वारा तात्कालिक रूप से किये जाने वाले कार्य	**जिम्मेदार अधिकारी का नाम/मोबाईल नं0**	
आपदा की स्थिति में विभाग द्वारा गठित टीमों के द्वारा प्रभावित क्षेत्र में तत्काल पहुॅचकर निम्न कार्य किये जायेंगे। **आपदा के समय–** (1) परस्पर समन्वय स्थापित कर आपदा राहत कार्यों में त्वरित सहयोग करना। (2) दबे, फंसे पशुओं को सुरक्षित बाहर निकालना व बाढ़/भूकम्प पीड़ित मनुष्यों/पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना। (3) घायल/बीमार पशुओं की चिकित्सा करना। (4)आवश्यकतानुसार लघु शल्य चिकित्सा/उपचार। (5) पशुओं का शव परीक्षण/शव विच्छेदन।	डा0रवीन्द्र चन्द्रा, मु0प0चि0अ0 ऊ0सि0नगर	9456704037
	डा0मृगेश चौधरी, उप मु0प0चि0अ0ऊ0नगर	8938805001
	डा0रोहित सिंह प0चि0अ0ग्रेड–1, जसपुर	9917339331
	डा0राजीव कुमार प0चि0अ0, करनपुर	9761581026
	डा0योगेश शर्मा प0चि0अ0ग्रेड–1,काशीपुर	7533900050
	डा0जी0सी0मन्दोलिया प0चि0अ0,प्रतापपुर	9837740246
	डा0ए0के0रावत प0चि0अ0ग्रेड–1,बाजपुर	9639867799
	डा0कमल पन्त प0चि0अ0,सुल्तानपुर पट्टी	9456344750
	डा0राहुल सती प0चि0अ0,बन्नाखेड़ा	8394999007
	डा0आर0एस0झा प0चि0अ0ग्रेड–1,गदरपुर	8057295005
	डा0राजीव सिंह प0चि0अ0ग्रेड–1,रूद्रपुर	9412420040
	डा0संतोष बुधानी प0चि0अ0,रामेश्वरपुर	9412120856
	डा0आर0के0पाठक प0चि0अ0ग्रेड–1,किच्छा	9412122646
	डा0जितेन्द्र कुमार प0चि0अ0ग्रेड–1,सितारगंज	9917665920
	डा0अमित कुमार प0चि0अ0,नानकमत्ता	9457888812
	डा0एस0के0शर्मा प0चि0अ0ग्रेड–1,खटीमा	9411289683
	डा0कोमल सिंह प0चि0अ0,झनकट	9456140599
	डा0सतीश कुमार प0चि0अ0,सचल–रूद्रपुर	9456358847
2. घटना की समाप्ति तक किये जाने वाले अन्य कार्य	**जिम्मेदार अधिकारी का नाम/मोबाईल नं0**	
(1) पशुओं को चारा/दाना/कॉम्पैक्ट फीड/चाटन भेली उपलब्ध कराना। (2) मृत/शव परीक्षण के उपरान्त स्थानीय प्रशासन के सहयोग से पशुओं का निस्तारण।	––––––उपरोक्तानुसार––––––	

(3) मृत/लापता पशुओं का राजस्व विभाग के सहयोग से आंकलन करना/क्षतिपूर्ति हेतु कार्यवाही करना। (4) आश्रयहीन हुवे पशुओं को स्थानीय प्रशासन/ सम्बन्धित विभाग के सहयोग से अस्थायी आश्रय उपलबध कराना। (5) विभागीय परिसम्पत्तियो की क्षति का आंकलन कर आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को सूचित करना। (6) क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों को व्यवस्थित करना। (7) विभागीय सेवाओं को पुनः सुचारू करना।	
3. विभागीय संसाधन सूची (संसाधन का नाम/जिम्मेदार व्यक्ति का नाम/मो0नं0)	**अन्य संसाधनों की सूची जिसकी आवश्यकता विभाग द्वारा आपातकाल के दौरान या पश्चात् होती है। (संसाधन का नाम/फर्म–व्यक्ति का नाम/ मो0 नं0)**
01.विभागीय सचल वाहन महिन्द्रा यूटीलिटी 01 डा0सतीश कुमार प0चि0अ0 सचल पशुचिकित्सालय रूद्रपुर मोबाईल नं0 :– 9456358847 2–रेफ्रीजरेटर संख्या –22 3–औषधि/रसायन/उपकरण 4–संक्रामक रोगों से बचाव हेतु वैक्सीन डा0आर0चन्द्रा मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, ऊ0सि0नगर मोबाईल नं0 :– 9456704037	1–औषधि/रसायन 2–वैक्सीन हेतु मैसर्स रवि इन्टरप्राईजेज, नियर भगतसिंह चौक, रूद्रपुर। मोबाईल नं0 :–9837048753 3–रस्सा, फावड़ा, गैती आदि हेतु मैसर्स ओम ट्रेडर्स, भगतसिंह चौक, रूद्रपुर। मोबाईल नं0 :–9412039909